मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल,मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

फोन–0755–2430154, फैक्स– 0755–4004137

वेबसाईट : www.mperc.in, ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

क्रमांकः 439 / मप्रविनिआ / संचा.(अ. एवं वि.) / 2024 / **भोपाल, दिनांकः 14 / 02 / 2024**

: सार्वजनिक सूचना :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 86(1)(जी) सहपठित धारा 181 (2) (जेडपी) के अधीन प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.वि.नि. आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण – प्रथम) विनियम, 2010 जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 12 मार्च, 2010 को अधिसूचित हुआ था, में पुनरीक्षण प्रस्तावित करता है। उक्त विनियम में द्वितीय पुनरीक्षण का प्रारूप आयोग की वेबसाईट **www.mperc.in** पर उपलब्ध है।

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(3) के अंतर्गत वे व्यक्ति जो उक्त विनियम पर अपने सुझाव / आपत्तियां / टीप प्रस्तुत करना चाहें, वे लिखित में इन्हें आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कॉलोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल– 462016 को अन्तिम दिनांक 07.03.2024 तक भेज सकते हैं। सुझाव / आपत्तियां / टीप ई–मेल पते **secretary@mperc.nic.in** अथवा फैक्स **0755-4004137** द्वारा भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रस्तावित विनियम की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस को दिनांक 15.02.2024 से 06.03.2024 तक प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रूपये 50/- (प्रति सेट) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। [यह प्रति डाक द्वारा रूपये 90/- के भुगतान द्वारा (रूपये 50/- प्रति सेट की दर से + रूपये 40/- डाक व्यय हेतु) भी प्राप्त की जा सकती है।] यदि आवश्यक हो तो, आयोग द्वारा दिनांक 19.03.2024 को प्रातः 11.00 बजे आयोग के कार्यालय में सुनवाई की जावेगी।

आयोग के आदेशानुसार,

आयोग सचिव